

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त एक उत्कृष्ट कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय को सारा ही किया जाने ल कि किये अन्त उपरोक्तो ही सारा ल  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में एक उत्कृष्ट कुल ही तो एक सारा ही विषयक उत्कृष्ट विद्या जाने किये लोके ल।



संख्या : कुलसचिव  
दूरभाष : (0751) 2441896  
(0751) 2442825  
फैक्स : (0751) 2441768

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय,  
ग्वालियर  
प्रमाणिका/एफ/सम्बद्धता/2009/5719

दिनांक: 01/02/12

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने सम्बद्ध मुख्य महाविद्यालय, सिटी (07534-240248) को सन 2011-12 के लिये परामर्शदाता/संवाचित बी.एस-सी. बर्निंग तृतीय वर्ष प्राथमिक कक्षा/पाठ्यक्रम/संवाचितों की उत्तमगी सम्बद्धता हेतु अनुसंधान प्रदान करने के लिये माननीय कुलसचिव महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है -

- (1) प्रो. शशीव जैन, अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)  
(0751-2442766)
- (2) डॉ. सुजता शर्मा, प्राचार्या, बी.आई.एम.आर कॉलेज ऑफ बर्निंग, ग्वालियर।
- (3) डॉ. अनुराग मोहन, प्राचार्य, जी.आर. मेडीकल कॉलेज, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचियम 27(10) के प्रावधानों के अनुसार महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर सुक्त, परीक्षा सभ, परीक्षा शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ, परीक्षा सभा से प्राप्त स-सूचि/सूचिपत्र प्रमाण-पत्र, भवन, कक्षा परिसर एवं पाठ्यक्रम/संवाचित तदा पिछले सन में की गई भर्ती की पूर्ति जय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि को ध्यान में रख कर विवेक/अनुसंधान अर्पित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करावें। समिति संयोजक से विवरण है कि वे उक्त विधायित सन में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिनों में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई त्रुटि के लिए महाविद्यालय जय उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, गोंयाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति उक्त निरीक्षण ही जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को राश 25,000/- जमा करके लोने। तत्पश्चात ही निरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जावेगा। परिचियम 27(11)(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना जनों को प्रवेश देना अनैतिक है।

निरीक्षण समिति के सन सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कर्मचारी उदात्तक प्रकृती लेकर जावेगी तथा महाविद्यालय की स-सूचि से निरीक्षण समिति को अवगत करावेगी। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए., डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

  
कुलसचिव

### प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबन्धित महाविद्यालय की ओर भेजकर आगत है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावे। उक्त निरीक्षण 13 दिनों के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुरा भवन, गोंयाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलसचिव के लिये / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप. कुलसचिव (सम्बद्धता)